राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 02(06)न्याय/2018/ पार्ट-1 जयपुर, दिनांक 30.06.2026

::अधिसूचना::

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 03.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु सृजित एवं स्थापित निम्नलिखित विशेष न्यायालयों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 3 के अनुसार पुनः निर्धारित करती हैः-

क्र.सं.	विशेष न्यायालयों का नाम	क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों का नाम
1	2	3
01	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 01, अजमेर	हरिभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर, महिला थाना अजमेर, जीआरपी अजमेर, श्रीनगर, मांगलियावास, केकड़ी शहर, केकड़ी सदर, सरवाड़, सराना, भिनाय, सावर, बोराडा, पुष्कर, पीसांगन, नसीराबाद सदर, नसीराबाद सिटी।
02	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 02, अजमेर	किशनगढ़, मदनगंज, गाँधीनगर, बांदरसिंधरी, रूपनगढ़, अराई, गेगल, क्लॉक टावर, अलवर गेट, गंज, दरगाह, रामगंज, कोतवाली, सिविल लाईन, आदर्श नगर, कृष्णगंज।
03	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 01, अलवर	महिला थाना, शहर कोतवाली, शिवाजी पार्क, खेड़ली, कठूमर, प्रतापगढ़, रैणी।
04	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 02, अलवर	एन.ई.बी., सदर, उद्योग नगर, राजगढ़, बड़ौदामेव, अरावली विहार, मालाखेड़ा।
05	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 03, अलवर	गोविन्दगढ़, टहला, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी वैशाली नगर।
06	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 04, अलवर	बगड़ तिराया, अकबरपुर, विजय मन्दिर, धौलागढ़ देवी, नौगांवां, अखैपुरा।
07	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 01, भरतपुर	कोतवाली भरतपुर, मथुरा गेट भरतपुर, अटलबंध भरतपुर, महिला थाना भरतपुर, बयाना, सदर बयाना, गढीबाजना, रुदावल, रूपवास, उच्चैन,

		गहनौली मोड।
08	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 02, भरतपुर	सेवर भरतपुर, चिकसाना भरतपुर, उद्योग नगर भरतपुर, जीआरपी रेल्वे भरतपुर, भुसावर, खेड़ली मोड, वैर, हलैना, नदबई, लखनपुर।
09	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 01, मेड़ता	जसनगर, जी.आर.पी. मेड़ता रोड़, डेगाना, थांवला।
10	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 02, मेड़ता	गोटन, मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड़, पादूकलां।
11	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, नागौर	भावण्डा, खींवसर, कुचेरा, मूण्डवा, पांचौड़ी, कोतवाली नागौर, सदर नागौर, श्रीबालाजी, महिला थाना नागौर, जायल, खाटूबड़ी, रोल व सुरपालिया।
12	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 01, पाली	कोतवाली पाली, इण्डस्ट्रीयल एरिया पाली, ट्रांसपोर्ट नगर पाली, सदर पाली, गुडा एन्दला, रोहट, जैतपुर।
13	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 02, पाली	सोजत सिटी, सोजत रोड़, बगड़ी नगर, शिवपुरा, चण्डावल नगर, रानी, सादड़ी, मारवाड़ जंक्शन, सिरीयारी।
14	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 03, पाली	सुमेरपुर, सुमेरपुर सदर, तखतगढ़, साण्डेराव, बाली, फालना, नाणा, देसुरी, खिवाड़ा।
15	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 01, उदयपुर	अम्बामाता, हिरण मगरी, बडगॉव, झाड़ोल, सुखेर, ऋषभदेव, खैरवाड़ा, पाटिया, कल्याणपुर, ओगणा, कोटड़ा, डबोक, खेरोदा, पहाड़ा, घण्टाघर, टीडी, हाथीपोल, बेकरिया एवं माण्डवा।
16	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या 02, उदयपुर	गोवर्धन विलास, प्रतापनगर, फलासिया, सुरजपोल, वल्लभनगर, गोगुन्दा, सविना, सायरा, फतेहनगर, कानोड़, धानमण्डी, घासा, भुपालपुरा, बावलवाड़ा, नाई, मावली, कुराबड़, पानरवा, भीण्डर, महिला थाना एवं बाघपुरा।

नोट :-

(1) किशोर न्याय बोर्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समिति (कमेटी) की अपीलों का क्षेत्राधिकार संबंधित पुलिस थाना जिसमे एफआईआर दर्ज हुई, के क्षेत्राधिकारिता वाले विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 प्रकरण को होगा।

(2) धारा 15 से संबंधित आदेश के विरूद्ध अपील संबंधित सेंशन न्यायालय में प्रस्तुत/सुनवाई की जायेगी।

(3) उपरोक्त विशेष न्यायालय एवं बाल न्यायालय वर्तमान में लम्बित प्रकरण पर सुनवाई जारी रख सकेगें अर्थात वर्तमान में लम्बित प्रकरणों को उपरोक्त पुलिस थाना अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4) उक्त अधिसूचना के कॉलम संख्या 3 में वर्णित पुलिस थानों के अतिरिक्त शेष पुलिस थाने एवं उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् नवसृजित होने वाले पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार संबंधित जिले के कार्यरत विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 प्रकरण संख्या 1 के न्यायालय को होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

30/06/2026

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, अजमेर, अलवर, भरतपुर, मेड़ता, नागौर, पाली, उदयपुर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(आशीष कुमार कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव